

**थाना खुदागंज व S.O.G की संयुक्त पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता,**

**शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का किया खुलासा, भारी मात्रा शराब बरामद ।**

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमती अपर्णा गौतम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं श्री परमानन्द पाण्डेय क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खुदागंज को मिली बड़ी कामयाबी ।

दिनांक 13.09.2020 की रात्रि को थाना खुदागंज पुलिस व SOG की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान फरीदपुर रोड चिरचिरा पुलिया के पास सामने से एक गाडी ग्राम चिरचिरा की ओर से तीव्र गति से आती हुयी दिखाई दी । पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा करने पर भी गाडी नही रुकी तो शक के आधार पर पुलिस टीम द्वारा पीछा किया तथा घेराबन्दी कर वहद जंगल फरीदपुर रोड चिरचिरा पुलिया पर रोक लिया । तलाशी लेने पर गाडी से 03 अभियुक्तों को नकली फायटर कम्पनी की अवैध शराब की 40 पेट्टी के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी के दौरान आबकारी निरीक्षक श्री फरजन्द अली को भी मौके पर बुला लिया गया ।

**पृछताछ का विवरण:**

उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा बताया कि हम लोग हरियाणा से शराब लाकर उस पर नकली फायटर कम्पनी का रेपर व क्यू आर कोड लगाकर उत्तर प्रदेश मे शराब की बिक्री करते है । हम लोग आज शराब बेचने पीलीभीत जा रहे थे कि आपके द्वारा हम लोगों को पकड लिया गया । गाडी की तलाशी से 40 पेट्टी मे लगभग 1917 पोव्वे व 3 मोबाइल बरामद हुये । अभियुक्तगणों द्वारा लगाये गये क्यू आर कोड पर UP EXCISE ऐप द्वारा स्केन करने से तोफहा ब्रांड की शराब प्रदर्शित हो रही थी जबकि बरामद शराब पोब्वों पर फायटर ब्रांड का लेविल लगा रखा है । इस सम्बन्ध में अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना खुदागंज पर मु0अ0सं0- 258/20 धारा 60/63/72 Ex Act व मु0अ0सं0 259/2020 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।।

अभियुक्तों को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा पूर्व मे भी शराब की तस्करी करते हुये 01 ट्रक अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था । इस सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया था ।

**आपराधिक इतिहास:-**

- 1- मु0अ0सं0 – 189/2019 धारा 60/62 EX ACT थाना सदर बाजार ।
- 2- मु0अ0सं0 - 190/19 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना सदर बाजार ।
- 3- मु0अ0सं0 - 43/19 धारा 2/3 गैंग स्टर एक्ट सदर वाजार ।
- 4- मु0अ0सं0- 92/2020 धारा 60 EX ACT थाना नौचंदी जनपद मेरठ ।

**गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम-**

- 1-दलजीत सिंह S/O भीम सिंह R/O बरसौला थाना जींद जनपद जींद हरियाणा ,
- 2- अमन S/O अजमेर R/O बडौदा थाना उचाना जनपद जींद हरियाणा व
3. . कुलदीप S/O शोराज नि9 मकान न0 1158/3 शास्त्रि नगर थाना नौचंदी जिला मेरठ उ0प्र0

**बरामदगी का विवरण**

- 1- एक सफेद रंग की कार i-10 नम्बर HR 40 E 2101
- 2- 40 पेट्टी मे लगभग 1917 पव्वे (छोटी बोतल) ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री रवि कुमार ( S.O.G टीम) ।
- 2-थानाध्यक्ष श्री वकार अहमद खान थाना खुदागंज शाहजहाँपुर
- 3-आबकारी निरीक्षक श्री फरजन्द अली तिलहर क्षेत्र ।
- 4-उ0नि0 श्री राजपाल सिंह थाना खुदागंज शाहजहाँपुर ।
- 5-का0 671 अमरजीत सिंह ( S.O.G टीम) ।
- 6-का0 1435 दिलीप सिंह( S.O.G टीम) ।
- 7-का0 166 उदयवीर सिंह ( S.O.G टीम)
- 8-का0 264 जानेन्द्र सिंह ( S.O.G टीम)
- 9-का01475 अजय चौधरी( S.O.G टीम)
- 10-का0 1405 तौशीम हैदर ( S.O.G टीम)
- 11-का0 कुशलपाल ( S.O.G टीम)
- 12-का0 चालक कपिल ठाकुर ( S.O.G टीम)
- 13-का0 संजीव कुमार (सर्विलाइन्स)
- 14-का0 अजय चौधरी (सर्विलाइन्स)
- 15-का0 192 गौरव कुमार थाना खुदागंज शाहजहाँपुर ।
- 16-का0 1265 रितुराज थाना खुदागंज शाहजहाँपुर ।
- 17-का0 2149 मनजीत थाना खुदागंज शाहजहाँपुर